मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 MAR 2024

कमांकः– आर/1934532/2024/तेरह/02 : प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर एक "परिसर" में एक से अधिक परिवार विभिन्न व्यावहारिक कारणों से अलग–अलग निवास करते हैं, परंतु उनके मध्य विधिक बंटवारा नहीं होने के कारण कतिपय प्रकरणों में वितरण कंपनियों द्वारा पृथक स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जाना सूचित है। इस संबंध में एक विद्युत कनेक्शन से विद्युत प्राप्त कर रहे पृथक–पृथक परिवारों को स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन दिये जाने के लिए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के मुख्यालयों (भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर एवं शहडोल) में Pilot Project अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1. पृथक परिवार की पहचान के लिए यह आधार माना जाएगा कि सामान्यतः उनका भोजन पृथक–पृथक बनता हो ।
2. ऐसे परिसर, जिनमें किरायेदार निवास कर रहे हैं, में पृथक स्वतंत्र कनेक्शन हेतु रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना होगा, बशर्ते मकान मालिक व किरायेदार सगे सम्बंधी न हों।

मूल विद्युत कनेक्शन के अधीन परिवार के द्वारा पृथक कनेक्शन चाहे जाने पर मूल कनेक्शन परिवार के मुखिया के नाम करवाने हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2/ उपरोक्त कार्यवाही निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

(क) उपरोक्त के लिए दो अनिवार्य अर्हताएँ होंगी –

(i) पृथक समग्र परिवार आई.डी. और
(ii) पृथक एलपीजी कनेक्शन

साथ ही, आवेदक को परिवार के सभी सदस्यों की समग्र सदस्य आई.डी. एवं आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगी।

(ख) परिसर/आवेदक के विरूद्ध वितरण कंपनी की कोई बकाया राशि नहीं होनी चाहिए।

(ग) प्रायोगिक तौर पर यह कार्यवाही सभी 8 क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मुख्यालयों पर की जायेगी तथा इसकी समीक्षा मुख्य अभियंता द्वारा की जायेगी। इस हेतु आवेदन संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को प्रेषित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर वैधता का निर्धारण सहायक अभियंता एवं स्थानीय प्राधिकारी (यथा–संबंधित नगर निगम के वार्ड प्रभारी और ग्रामीण

क्षेत्र में ग्राम सहायक) की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा एवं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप में प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। प्रमाण–पत्र के आधार पर कार्यपालन अभियंता द्वारा कनेक्शन दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(घ) प्रथमतः यह प्रायोगिक व्यवस्था छः माह के लिए लागू की जायेगी।

(ड.) उपरोक्त के अनुभवों के आधार पर योजना के विस्तार के संबंध में आगामी कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

V.K. Gaur

(व्ही.के. गौड़)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन कमांक 1934532/2024/तेरह/02 भोपाल, दिनांक 15 MAR 2024

प्रतिलिपि–

1. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ई–4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला भोपाल/ग्वालियर/उज्जैन/इंदौर/जबलपुर/रीवा/सागर/शहडोल मध्यप्रदेश।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
4. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल/ग्वालियर/उज्जैन/इंदौर/जबलपुर/रीवा/सागर/शहडोल।

– कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

V.K. Gaur

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग